पत्र सं0–9 / व0क्षे0पदा0 (आ0)–35 / 2019 1877 व0 प0राँची, दिनांक.....09/07/2020

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरणएवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार दास,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची।

विषयः– **श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र मेदिनीनगर, वन प्रमंडल (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयके संबंध में कहना है कि श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र मेदिनीनगर, वन प्रमंडल (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक–2794 दि0–19.08.2019 द्वारा प्राप्त विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव के आलोक में विभागीय ज्ञापन संख्या–815 दिनांक–04.03.2020 द्वारा श्री महेश प्रसाद, सेवानिवृत वन क्षेत्र पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त विभागीय पत्र एवं गठित आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र एवं आरोप पत्र को विभागीय Websit-"forest.jharkhand.gov.in" पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/7/2020
(विनय कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002. - 0651-2481909 (T) / 2480413 (F) email – pccf-jhk@gov.in

पत्रांक :नि0को 90 / 208 – 2794 दिनांक : 19.8.19

सेवा में

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड सरकार, रांची ।

श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (सम्प्रति सेवा निवृत) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में ।

महाशय

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का पत्रांक 2075 दिनांक 29.07.2019 द्वारा श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर (सेवानिवृत) के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली, 2000 के नियम 43 के अधीन विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

2. श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी मनातु प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर दिनांक 31.05.2018 को सेवा निवृत हो चुके हैं ।

3. संलग्न प्रस्ताव में श्री प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में क्रमशः रू0 02,90,721.25 तथा 04,85,797.00 यानि कुल रू0 07,76,518.25 रू0 का लेखा समर्पित नहीं करने का अरोप है ।

4. ज्ञातव्य होगा कि श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा निवृत के ऊपर पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाईयों की स्थिति विभागीय पत्रांक 4660 दिनांक 20.11.2018 में प्रेषित है, जिसके अनुसार श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित कुल छः विभागीय कार्यवाइयों में से 02 विभागीय कार्यवाइयों में दण्ड का अधिरोपण किया जा चुका है, शेष 03 मामलोंमें जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो राज्य सरकार के अधीन समीक्षाधीन है तथा एक मामला में जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

5. चुकि श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी दिनांक 31.05.2018 को सेवा निवृत हो चुके हैं एवं उनके पेंशन आदि का अंतिम निस्तारण का मामला अभी लम्बित है, अतः राज्य सरकार संलग्न प्रस्ताव के अनुसार झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 के अधीन एक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए इसे तथा पूर्व से लम्बित 04 विभागीय कार्यवाईयों का शीघ्र निष्पादन करना चाहेगी ताकि श्री प्रसाद के पेंशन–आदि के अंतिम निष्पादन पर निर्णय शीघ्र लिया जा सके ।

अनु॰ – यथोक्त ।

आपका विश्वासी

19/8/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड, रांची।

अपर मुख्य सचिव विभाग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 3621
21 AUG 2019

कार्यालय–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,पलामू ।

वन भवन, कचहरी रोड, मेदिनीनगर –822101.

Tel.-06562-222100 /8987790231 Email-rccf_pal@rediffmail.com/rccfpalamu@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक-2075 दिनांक 29/07/2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (सम्प्रति सेवा निवृत) के विरूद्ध कैम्पा योजना अंतर्गत कराए गए कार्यों का लेखा समर्पित नहीं करने के संबंध में विभागीय कार्यवाही का प्रेषण।

प्रसंगः– भवदीय के कार्यालय का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 2416, दिनांक 15.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (सम्प्रति सेवा निवृत) के विरूद्ध कैम्पा योजना अंतर्गत रबदा स्थायी पौधशाला एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू का आवास–सह–कार्यालय की मरम्मति कार्य अंतर्गत कुल 7,76,518.25 (सात लाख छिहत्तर हजार पांच सौ अठारह रू0 पच्चीस पैसे) की राशि का वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 का लेखा समर्पित नहीं करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव प्रपत्र 'क' में गठित करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Mahesh 29.7.2019

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू,मेदिनीनगर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास
झारखण्ड, राँची
पत्रांक ...1954....
दिनांक ...01.08.19....

झारखण्ड सरकार,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

प्रपत्र–'क'

पदाधिकारी का नाम	–	श्री महेश प्रसाद।
पदनाम	–	वन क्षेत्र पदाधिकारी (सेवा निवृत)।
श्रेणी	–	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)।
वेतनमान	–	9300.00–34800.00, ग्रेड पे–4200.00
पदस्थापन कार्यालय	–	तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>आरोप</th><th>आरोप की विवरणी</th><th>साक्ष्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>7,76,518.25 रू0 सरकारी राशि का लेखा समर्पित नहीं करना।</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र को कैम्पा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में रबदा स्थायी पौधशाला में रख–रखाव हेतु निम्नवत राशि उपलब्ध कराई गई :–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>चेक सं0</th><th>राशि</th><th>काय विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>003056 दि0 19.01.2015</td><td>321350.00</td><td>रबदा स्थायी पौधशाला के रख–रखाव हेतु</td></tr>
<tr><td>2</td><td>003107 दि0 31.03.2015</td><td>264168.00</td><td>रबदा स्थायी पौधशाला के रख–रखाव हेतु</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल राशि</td><td>585518.00</td><td></td></tr>
</table>
उपरोक्त राशि रू0 585518/– का लेखा वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित किये जाने के पश्चात माह फरवरी 2015 में जाचोंपरान्त 294796.75 रू0 का लेखा वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा समायोजित किया गया तथा शेष 290721.25 रू0 का लेखा त्रुटिपूर्ण होने के कारण समायोजित नहीं किया गया।
इस बीच झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या रा0व0से0(स्था0) 07/2015–3871 व0प0 दिनांक 20.</td><td>1. माँग पत्र की छायाप्रति (अनु0–01)।</td></tr>
</table>

		07.2015 द्वारा श्री अनिल कुमार मिश्रा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के स्थान पर श्री नरेश चन्द्र सिंह मुण्डा, का पदस्थापन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के रूप में किया गया। श्री मुण्डा द्वारा दिनांक 27.07. 2015 के अपराह्न में प्रभार ग्रहण किया गया। श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा नव पदस्थापित वन प्रमण्डल पदाधिकारी श्री मुण्डा को श्री महेश प्रसाद द्वारा समर्पित त्रुटिपूर्ण लेखा सुधार कर समर्पित करने हेतु कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू के पत्रांक 1313 दिनांक 24.08. 2015 के द्वारा भेजा गया (छायाप्रति संलग्न), जिसे श्री मुण्डा, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू श्री महेश प्रसाद को प्रमण्डलीय कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.05.2015 द्वारा भेजा गया (छायाप्रति संलग्न)। उपरोक्त राशि का त्रुटिरहित लेखा समर्पित करने हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भी श्री मेहश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को निर्देश दिया, परन्तु लेखा सुधार कर वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इस बीच माह अप्रैल 2015 से ही रबदा स्थायी पौधशाला में समापन/सम्पोषण कार्य निरंतर चलते रहने के कारण प्रतिबद्ध दायित्व (Committed Liablity) का सृजन हो जाने के कारण इस कार्य के लिए अंततः कुल 405797.00 रूपये का चेक नये वन प्रमण्डल पदाधिकारी श्री एन0सी0एस0 मुण्डा द्वारा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू का पत्रांक 1313 दिनांक 24.08.2015 **अनु0–02** प्रमण्डलीय कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.05.2015 (08) **अनु0–03** वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने पत्रांक 3495 दिनांक 30.11. 2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016 **अनु0–04A & 4B**

प्रतिबद्ध दायित्वों के सृजन और कार्यों की समीक्षा के उपरान्त मार्च 2015 में वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को दिया गया। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र पदाधिकारी को उनके जर्जर पड़े वन क्षेत्र पदाधिकारी आवास, मनातू की मरम्मति हेतु 80000.00 रू0 निम्नवत चेक के द्वारा दिये गये :–

क्र0 सं0	चेक सं0	राशि	काय विवरण
1	2	3	4
1	012172 दि0 16.02.2016	80000.00	आवास मरम्मति हेतु
2	012179 दि0 15.03.2016	200000.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख–रखाव हेतु
3	012154 दि0 29.03.2016	205797.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख–रखाव हेतु
	कुल राशि	**485797.00**	

इस प्रकार वर्ष 2015–16 में आवास मरम्मति एवं रबदा स्थायी पौधशाला में कार्य सम्पन्न करने हेतु वन अग्रिम के रूप में 485797.00 रू0 वन क्षेत्र पदाधिकारी को दिया गया। परन्तु दी गयी राशि का लेखा वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया। तत्पश्चात वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा (वित्तीय वर्ष 2014–15 की असमायोजित राशि 290721.25 रू0 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में दी गयी राशि 485797.00 रू0) कुल राशि 776518.25 रू0 कैम्पा खाता में जमा करने हेतु वन क्षेत्र पदाधिकारी को निर्देश दिया गया तथा अनेको बार स्मारित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा न तो लेखा समर्पित किया गया न ही कैम्पा खाता में 776518.25 रू0 जमा किया गया।

वर्तमान वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा दिनांक 18.07.2019 तथा 20.07.2019 को उपरोक्त राशि से कराये गये कार्यों की जांच की गयी। जांचोपरान्त जांच प्रतिवेदन वन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन

		प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा उनके ज्ञापांक 2679 दिनांक 25.07.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। जांच के क्रम में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा पाया गया कि स्थायी पौधशाला में वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में दी गयी राशि से नियमानुसार कार्य हुआ है तथा किसी भी मजदूर की मजदूरी बकाया नहीं है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा मनातू वन क्षेत्र कार्यालय की मरम्मति हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्गत राशि 80000.00 रू0 से कराये गये कार्यों की भी जांच की गयी तथा जांच के क्रम में पाया गया कि निर्गत राशि से नियमानुसार कार्य सम्पन्न किया गया है। परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया है। इस बीच दिनांक 19.07.2019 को श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र (अब सेवा निवृत), श्री एन0सी0एस0 मुण्डा, तत्कालीन वन प्रगण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर (अब वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल) तथा श्री अनिल कुमार मिश्रा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर (वर्तमान में वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग) को इस मामले में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर द्वारा जांच हेतु बुलाया गया। इस जांच के क्रम में सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए परन्तु मौका दिए जाने के बावजूद श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी (अब सेवा निवृत) द्वारा उक्त 776518.25 रूपये का लेखा न तो समर्पित किया गया और न ही लेखा समर्पित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सका। इस प्रकार श्री महेश प्रसाद,	प्रमण्डल का ज्ञापांक 2679 दिनांक 25.07.2019 की छायाप्रति संलग्न **(अनु0–05)**।

		तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र द्वारा 776518.25 रूपये का लेखा समर्पित नहीं किया गया है।	
2	उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करना।	श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, 2278 दिनांक 15.05.2017, 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017 द्वारा 776518.25 रू0 कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया, लेकिन आदेश का पालन वन क्षेत्र पदाधिकारी, श्री महेश प्रसाद द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू वन प्रक्षेत्र ने न तो लेखा समर्पित किया और न ही उनके पक्ष में अवशेष राशि को कैम्पा खाता में जमा किया। **अतः श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र के द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं करना सरकारी सेवक अचार नियमावली 1976 के धारा 3 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है।**	वन प्र0पदा0 मे0 वन प्रमण्डल का पत्रांक 1694 दिनांक 03.04. 2017, पत्रांक 2278 दिनांक 12.05.2017, पत्रांक 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017 की छायाप्रति संलग्न (अनु9–6A, 6B, 6C & 6D।
3	कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतना।	श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा रबदा स्थायी पौधशाला के रख–रखाव एवं आवास मरम्मति हेतु कैम्पा खाता में 776518.25 रू0 की राशि दी गयी, परन्तु श्री प्रसाद द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया। श्री प्रसाद को उपरोक्त राशि कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद द्वारा उपरोक्त राशि कैम्पा खाता में जमा नहीं की गयी। उन्हें राशि कैम्पा खाता में जमा करने हेतु अनेकों बार स्मारित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा न तो लेखा	वन प्र0पदा0 मे0 वन प्रमण्डल का पत्रांक 1694 दिनांक 03.04. 2017, पत्रांक 2278 दिनांक 12.05.2017, पत्रांक 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017 की छायाप्रति संलग्न (अनु9–6A, 6B, 6C & 6D।

		समर्पित किया गया और न ही राशि कैम्पा खाता में जमा किया गया। अतः यह साफ दर्शाता है कि श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतते रहे।	

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किये जाते है :–

1. 776518.25 रू0 सरकारी राशि का लेखा समर्पित नहीं करना।
2. उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करना।
3. कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतना।

आदेश :–

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (अब सेवा निवृत) को आदेश दिया गया है कि उपरोक्त वर्णित आरोपों के संबंध में पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण उचित माध्यम से समर्पित करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है और उनके विरूद्ध एकतरफा निर्णय लेते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तारण कर दिया जायेगा।

अनु0–साक्ष्य तालिका।

29/07/19	29/7/19	29.7.2019	3/8/19	4/3/2020
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची।	सरकार के उप सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची।

साक्ष्य तालिका।

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू वन प्रक्षेत के विरूद्ध फर्जी प्रमाणक बनाकर कैम्पा योजना का 776518.25 रू0 राशि गबन करने के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का साक्ष्य तालिका।

अनु0 संख्या	पत्रांक, दिनांक	विवरण
1	2	3
1	दिनांक 17.01.2015	माँग पत्र की छायाप्रति।
2	1313 दिनांक 24.08.2015	छायाप्रति संलग्न।
3	पत्रांक 2576 दिनांक 25.05.2015	छायाप्रति संलग्न।
4	पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016	छायाप्रति संलग्न।
5	ज्ञापांक 2679 दिनांक 25.07.2019	छायाप्रति संलग्न।
6	पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, पत्रांक 2278 दिनांक 12.05.2017, पत्रांक 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017	छायाप्रति संलग्न।

29/07/19 29/7/19 29.7.2019 5/8/15

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
मेदिनीनगर।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

सरकार के उप सचिव,
वन, पर्यावरण एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, रांची।

सं०/लेखा - 1 (26)

The Range Officer of Forests.
........................Range.

To.

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,
MEDININAGAR FOREST DIVISION

Sir.

[illegible]

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. Current Expenditure in my Range as below:-

Particulars of Work Rehbg - 1 Hect.	Amount Sanctioned	Amount Available	Amount Proposed be spent now
1	2	3	4
1 [illegible]	26,560=50	26,560=50	26,560=50
2 [illegible] 150 m/d 360 m/d	63,795=20	63795=20	63795=20
3 [illegible] 1032 m/d	3,75299=84	375299=84	182829=78
4 [illegible]	119911=84	119911=89	48211=[illegible]
			~~[illegible]~~
			3,21350=[illegible]

I beg to add that have a cash balance or Rs.------141------ in my hand to day in receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

Mahesh Prasad
16.1.016

Your's faithfully

Range Officers of Forests.
Manika..........Range.

Memo No ..../ Dated ..../
has the honour to enclosed Forest Department Cheque No. [illegible] dated [illegible] for [illegible] (Rs. three lac twenty one thousand three hundred fifty) The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

[illegible signature]

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
MEDININAGAR FOREST DIVISION

[illegible] Dated [illegible] for [illegible]
three lac twenty one thousand three hundred [illegible]

Mahesh Prasad
[illegible] 16

(25)

The Range Officer of Forest

To Manika Range

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,
MEDININAGAR FOREST DIVISION.

Sir

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. ... Expenditure in my Range as below:-

Particulars of Work Rabila Ponmat Ht.	amount sanctioned	Amount available	Amount proposed be spent now.
1	2	3	4
1. Maintenance of current year & Advance work wages			1,92,475.00
Materials			71,700.00
			2,64,175.00

I beg to add that have a cash balance of Rs.............................in my hand to day on receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

Yours faithfully,
Mahesh Prasad 31.3.15
Range Officers of Forests,
Manika Range.

Memo No............../ Dated............................/
Has the honour to enclosed Forest Department Cheque No. .... Dated........for........(Rs. ....). The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

31/3/15
Divisional Forest Officer,
Medininagar Forest Division.

Received Rs. Two lakh sixty four thousand one hundred seventy five only Cheque No. AA 503107 Dated 31.3.15 for

31.3.15
Range Officers of Forests,
Manika Range.

...ATION FOR THE ADVANCE OF ...FOR CURRENT EXPENDITURE

2015-16

24

The Range Officer of Forests.
~~Manatu Forest~~ Range.

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,
MEDININAGAR FOREST DIVISION

Sir

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. Current Expenditure in my Range as below.-

Particulars of Work	Amount Sanctioned	Amount Available	Amount Proposed be spent now
1	2	3	4
R.F.O. Quarter Repairing Manatu			80,000=00
Issue cheque for Rs 80,000/- only 15-02-16 Divisional Forest Officer Medininagar Forest Division, Medininagar			
			80,000=00

80,000/-

I beg to add that have a cash balance or Rs. ----Nil---- in my hand to day in receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

Your's faithfully

Mahesh Prasad

Range Officers of Forests.
~~Manatu Forest~~ Range.

Memo No ..../ Dated ..../
has the honour to enclosed Forest Department Cheque No. 012172 dated 16-02-16 for 80,000/-
(Rs. Eighty thousand only) The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

Divisional Forest Officer
Medininagar Forest Division, Medininagar
DIVISIONAL FOREST OFFICER
MEDININAGAR FOREST DIVISION

Received Cheque No-A/................Dated .... for................
Rs. ....only

Mahesh Prasad

Mahesh Pd

Range Officers of Forests.
------------------------Range.

(23)

APPLICATION FOR THE ADVANCE OF

Rs. .... FOR CURRENT EXPENDITURE

From. Rabi/a Permanent Nursery Completion 15-16

The Range Officer of Forests.
Manatu Forest Range.

To.

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER.
MEDININAGAR FOREST DIVISION

Sir

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. Current Expenditure in my Range as below:-

Particulars of Work	Amount Sanctioned	Amount Available	Amount Proposed be spent now
Rabi/Permanent Nursery Completion	2	3	4
1. Prick-outs Transplanting with watering	- - -	- - - -	037,486.00
2. Hoeing & weeding etc	- - -	- - -	1,87,430.00
3 Rasaynick khad etc	- - -	- - -	020,534.00
4. Diesel Mobil Pump Repairing	- - -	- - -	045,[illegible].00
5. Pollybags Replacement Sheet	- - -	- - -	020,582.00
6. Protection	- - -	- - -	068,411.95
7 Others expenses water Tank etc	- - -	- - -	015,622.90
8 Room Blower Tools etc	- - -	- - -	010,430.30
			4,05797.15

[Hindi handwritten note, largely illegible] 15.3.16

Divisional Forest Officer
Forest Division, Medininagar

I beg to add that have a cash balance or Rs. .... in my hand to day in receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

(842) [Hindi handwritten note] 2015-16 [illegible] 14.03.2016

Your's faithfully
Mahesh Prasad
09-03
Range Officers of Forests.
Manatu ....Range.

Memo No ..../ Dated ..../
has the honour to enclosed Forest Department Cheque No.................dated...........................for.........
(Rs. ....)The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Officer,
Medininagar Forest Division, Medininagar

Received Cheque No-A/.............................Dated .... for..............
Rs. ....only

Mahesh Prasad
16.3.16
Range Officers of Forests.
Manatu ....Range

अनुलग्नक-2

(22)

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी,कोर एरिया,पलामू ब्याघ्र आरक्ष प्रमंडल।

पत्र संख्या 1313 मेदिनीनगर, दिनांक 24-08-2015

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कोर एरिया,पलामू ब्याघ्र आरक्ष ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

विषयः— कैम्पा योजना के लेखा के संबंध में ।

महाषय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि कैम्पा योजना से संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज, मनातू एवं डालटनगंज वनरोपण प्रक्षेत्र द्वारा माह दिसम्बर, 2014 से जुन, 2014 तक के समर्पित लेखा के पारित करने की दिशा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्र द्वारा कर्णांकित योजनाओं में किये गये राशि का व्यय प्रमाणकों की योग्यताएवं लेखा के संधारण में त्रुटि पायी गयी। त्रुटिपूर्ण लेखा को पारित किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं है।

अतः पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्रों के लेखा में पाई गई त्रुटि की बिन्दुवार विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपत्ति के बिन्दुओं से वन क्षेत्र पदाधिकारी को अवगत कराते हए लेखा में आवश्यक सुधार कर त्रुटि रहित लेखा एक सप्ताह के अंदर संधारण हेतु अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि त्रुटि रहित लेखा को पारित किया जा सके । यह भी सूचित करना है कि यदि संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मामले पर यथा समय संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में त्रुटिपूर्ण प्रमाणको को रद्द करते हुए शेष लेखा पारित करने की कार्रवाई के लिए संबंधित कैम्पा प्रभारी सहायक को निदेशित किया गया है।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 24/8/15

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कोर एरिया,पलामू ब्याघ्र आरक्ष।

C:\Users\SFR\Desktop\NK RAY CAMPA.doc

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी,कोर एरिया,पलामू, ब्याघ्र आरक्ष प्रमंडल।

पत्र संख्या 1313 मेदिनीनगर, दिनांक 24-08-2015

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कोर एरिया,पलामू ब्याघ्र आरक्ष ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

विषयः– कैम्पा योजना के लेखा के संबंध में ।

महाषय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि कैम्पा योजना से संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज, मनातू एवं डालटनगंज वनरोपण प्रक्षेत्र द्वारा माह दिसम्बर, 2014 से जुन, 2014 तक के समर्पित लेखा के पारित करने की दिशा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्र द्वारा कर्णांकित योजनाओं में किये गये राशि का व्यय प्रमाणकों की योग्यताएवं लेखा के संधारण में त्रुटि पायी गयी। त्रुटिपूर्ण लेखा को पारित किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं है।

अतः पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्रों के लेखा में पाई गई त्रुटि की बिन्दुवार विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध हैं कि आपत्ति के बिन्दुओं से वन क्षेत्र पदाधिकारी को अवगत कराते हए लेखा में आवश्यक सुधार कर त्रुटि रहित लेखा एक सप्ताह के अंदर संधारण हेतु अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि त्रुटि रहित लेखा को पारित किया जा सके । यह भी सूचित करना है कि यदि संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मामले पर यथा समय संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में त्रुटिपूर्ण प्रमाणको को रद्द करते हुए शेष लेखा पारित करने की कार्रवाई के लिए संबंधित कैम्पा प्रभारी सहायक को निदेशित किया गया है।

विश्वासभाजन,

24/8/15

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कोर एरिया,पलामू ब्याघ्र आरक्ष।

C:\Users\USER\Desktop\NK RAY CAMPA.doc

(21)

मनातू प्रक्षेत्र द्वारा कैम्पा योजना के समर्पित लेखा में पायी गयी त्रुटि

1. माह फरवरी,2015 में कुल 294796.75 रू0 का लेखा संधारित है, जबकि संबंधित प्रमाणक 294796.71 रू0 का हैं ।

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी को स्थायी पौधषाला के रख–रखाव मद में कुल 585518.00 रू0 क्रमशः मजदूरी 465.606.12 एवं सामग्री 119911.88 रू0 उपलब्ध कराया गया है, जबकि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मजदूरी मद में 466579.45 एवं सामग्री मद में 118938.51 रू0 का व्यय किया गया है।

3. स्थायी पौधषाला में किये गये व्यय कार्य इकाइ वार स्पष्ट नहीं किया गया है।

4. मजदूरों को मजदूरी के खाता के माध्यम से किये गये भुगतान का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

5. कोड़नी निकौनी, पटवन, जड़ों को उखाड़ना, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य के लिए माह अप्रैल से जुन तीन मजदूर, जुलाई से सितम्बर दो मजदूर एवं अक्टूबर से मार्च तीन मजदूरों को ही नियोजित किया जाना है, परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित माह फरवरी,2015 के लेखा के प्रमाणक संख्या–01,2,3,4,5, 12 एवं 13 तथा मार्च,15 के प्रमाणक 1,2,3 में उपरोक्त कार्यो के मानकों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से मजदूरों का नियोजन किया गया है।

6. संबंधित प्रमाणकों में सेवा शीर्ष अंकित नहीं किया गया है।

7. माह अप्रैल, 2014 से मई, 2014 तक सुरक्षा एवं अन्य कार्य नहीं कराया गया है, क्यों ?

8. पटवन कार्य हेतु डीजल का क्रय माह अक्टूबर,14 एवं दिसम्बर,14 में किया गया है। स्पष्ट है किं माह अक्टूबर के पूर्व पटवन का कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्य के लिए कर्णांकित राषि का व्यय किसी अन्य मद में क्यों किया गया ?

9. वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु द्वारा कतिप्य राशि की निकासी अप्रील 2015 में किया गया है परन्तु उन्होंने उक्त राशि का लेखा मार्च 2015 में ही समर्पित कर भुगतान दिखाया गया है।

24/8/15

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू।

C:\Users\USER\Desktop\NK RAY CAMPA.doc

पत्रांक 2576/

कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

Email-dfomedininagarforestdivision@gmail.com

Phone No-06562-222536

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वनक्षेत्र पदाधिकारी, (नाम से)
मनातु प्रक्षेत्र।

मेदिनीनगर,दिनांक 25/8/15

विषयः— कैम्पा योजना के लेखा के संबंध में।

प्रसंगः— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल का पत्रांक 1313 दिनांक 24.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि कैम्पा योजना का माह फरवरी 2015 से मार्च 2015 तक के आपके द्वारा समर्पित लेखा को प्रमण्डलीय लेखा में समायोजन हेतु पारित करने पूर्व तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा अवलोकन/जांच किया गया। जांच क्रम में आपके द्वारा समर्पित लेखा के साथ संलग्न प्रमाणकों की योग्यता एवं लेखा के संधारण में त्रुटि पायी गई है, फलतः त्रुटिपूर्ण लेखा को पारित किया जाना युक्तिसंगत नहीं है।

तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल सम्प्रति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्र द्वारा लेखा से संबंधित त्रुटि की विवरणी की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए निदेशित करना है कि लेखा से संबंधित आपत्तित बिन्दूओं का निराकरण तीन दिनों के अन्दर सुनिश्चित करें, ताकि त्रुटि रहित लेखा को पारित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अन्यथा आपके द्वारा समर्पित लेखा से संबंधित प्रमाणकों को अमान्य करते हुए आपके पक्ष में अवशेष दर्ज कर लिया जाएगा।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

D:\Account\Campa New\Campa Letter 25.08.2015.doc

मनातु प्रक्षेत्र द्वारा कैम्पा योजना के समर्पित लेखा में पायी गयी त्रुटि

1. माह फरवरी,2015 में कुल 294796.75 रू0 का लेखा संधारित है, जबकि संबंधित प्रमाणक 294796.71 रू0 का हैं ।

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी को स्थायी पौधषाला के रख–रखाव मद में कुल 585518.00 रू0 क्रमशः मजदूरी 465.606.12 एवं सामग्री 119911.88 रू0 उपलब्ध कराया गया है, जबकि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मजदूरी मद में 466579.45 एवं सामग्री मद में 118938.51 रू0 का व्यय किया गया है।

3. स्थायी पौधषाला में किये गये व्यय कार्य इकाइ वार स्पष्ट नहीं किया गया है।

4. मजदूरों को मजदूरी के खाता के माध्यम से किये गये भुगतान का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

5. कोड़नी निकौनी, पटवन, जड़ों को उखाड़ना, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य के लिए माह अप्रैल से जुन तीन मजदूर, जुलाई से सितम्बर दो मजदूर एवं अक्टूबर से मार्च तीन मजदूरों को ही नियोजित किया जाना है, परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित माह फरवरी,2015 के लेखा के प्रमाणक संख्या–01,2,3,4,5, 12 एवं 13 तथा मार्च,15 के प्रमाणक 1,2,3 में उपरोक्त कार्यो के मानकों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से मजदूरों का नियोजन किया गया है।

6. संबंधित प्रमाणकों में सेवा शीर्ष अंकित नहीं किया गया है।

7. माह अप्रैल, 2014 से मई, 2014 तक सुरक्षा एवं अन्य कार्य नहीं कराया गया है, क्यों ?

8. पटवन कार्य हेतु डीजल का क्रय माह अक्टूबर,14 एवं दिसम्बर,14 में किया गया है। स्पष्ट है कि माह अक्टूबर के पूर्व पटवन का कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्य के लिए कर्णांकित राषि का व्यय किसी अन्य मद में क्यों किया गया ?

9. वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु द्वारा कतिप्य राशि की निकासी अप्रील 2015 में किया गया है परन्तु उन्होंने उक्त राशि का लेखा मार्च 2015 में ही समर्पित कर भुगतान दिखाया गया है।

A.K. Mishra 24/8/15

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू।

53 — फारम सं0 4

चपरासी बही

टिप्पणी :— प्रतिदिन के प्रारंभ में तारीख और यदि आवश्यकता हो तो चपरासी का नाम बड़े–बड़े अक्षरों में लिखें।

किसके प्रति	संलग्नों के साथ पत्र व्यवहार की संख्या और तारीख	प्राप्तियां
1	2	3
(1) [illegible]	2543, 2557, 2544 [illegible] 25.8.2015	
(2) [illegible]	2543, 2544, 2537	[illegible] 24/8/15
(3) [illegible]	2599, 2595, 2596, 2591, 2592, 2597, 2544, 2546, 2598, 2537, 2588, 2601, 2593, 2590	[illegible] 27-8-15 R.O
(4) [illegible]	2553	[illegible] 25/8/15
(5) [illegible]	2557	[illegible] 24/8/15

पत्रांक 3A-D5 /

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

Email-dfomedininagarforestdivision@gmail.com

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
मनातु प्रक्षेत्र।

मेदिनीनगर,दिनांक 30/11/15

विषयः— कैम्पा के तहत संचालित स्थायी पौधशाला के रखरखाव हेतु वितीय वर्ष 2014—15 में व्यय राशि के विरूद्ध समर्पित लेखा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त संदर्भ में सूचित करना है कि वितीय वर्ष 2014—15 में कैम्पा के तहत संचालित स्थायी पौधशाला रबदा 1 हे0 के रख—रखाव हेतु क्रमशः चेक सं0— 003056 दिनांक 19.01.2015 एवं चेक सं0— 003107 दिनांक 31.03.2015 द्वारा क्रमशः 321350.00 एवं 264168.00 रू0 उपलब्ध कराया गया था।

उपरोक्त उपलब्ध करायी गई राशि की निकासी प्रमण्डलीय कैम्पा लेखा सं0 621202010000512 से दिनांक 21.01.2015 को चेक सं0— 003056 दिनांक 19.01.2015 की राशि 321350.00 रू0 एवं दिनांक 07.04.2015 को चेक सं0— 003107 दिनांक 31.03.2015 की राशि 264168.00 रू0 हुई हैं। संबंधित राशि के विरूद्ध व्यय राशि का आपके द्वारा माह फरवरी 2015 एवं मार्च 2015 में लेखा संधारित कर समर्पित किया गया। प्रमण्डल द्वारा आपके पक्ष में निर्गत चेक सं0— 003107 दिनांक 31.03.2015 की राशि की निकासी आपके द्वारा प्रमण्डलीय कैम्पा लेखा से दिनांक 07.04.2015 को की गई है फलतः उक्त राशि का व्यय माह मार्च 2015 में ही किये जाने पर तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा आपति दर्ज करते हुये माह मार्च 2015 को आपके द्वारा समर्पित लेखा के प्रमाणकों को पारित नहीं किया गया। विषयक मामले में तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा की गई आपति से आपको इस कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.08.2015 द्वारा अवगत कराते हुये त्रुटि का निराकरण हेतु निदेशित किया गया।

खेद के साथ सूचित करना है कि आपके स्तर से बरती गई वितीय अनियमितता को गम्भीरता से नहीं लिया गया तथा वर्तमान तिथि तक स्थिति यथावत है।

D:\Account\Campa New\Campa 25.11.2015.doc

ज्ञातव्य हो कि आपके द्वारा माह मार्च 2015 के समर्पित लेखा के साथ समर्पित प्रमाणको को पारित करने की कार्रवाई नही करते हुये प्रमण्डलीय लेखा तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा संधारित एवं पारित किया जा चुका हैं आपके द्वारा माह मार्च 2015 के समर्पित लेखा में पायी गई त्रुटि के कारण तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

उपरोक्त स्थितियों में आपके विरूद्ध कुल 290721.25 रू0 की राशि का लेखा पारित नहीं होने के कारण उक्त राशि आपके पक्ष में रोकड़ शेष के रूप में यथावत है जो आपसे वसूलनीय है।

अतः आप स्पष्ट करें कि गलत ढंग से लेखा का संधारण कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को अंधकार में रख कर लेखा पारित करने हेतु क्यों समर्पित किया गया? क्यों नहीं समुचित राशि का व्यय को अमान्य करते हुये उक्त राशि आपसे वसूल कर गलत लेखा संधारण कर नियंत्री पदाधिकारी को गुमराह करना एवं विषयक मामले के संदर्भ में सूचित किये जाने के बावजूद भी गम्भीरता से त्रुटि का निराकरण न करने के लिए आपके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दिया जाय? विषयक संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अन्दर समर्पित करें अन्यथा उल्लेखित कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

(15)

अनुसूची 53 - फारम सं. - 4

चपरासी बही

टिप्पणी : प्रतिदिन के प्रारंभ में तारीख और यदि आवश्यक्ता हो तो चपरासी का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखें।

किसके प्रति 30/11/15	संलग्नों के साथ पत्र व्यवहार की संख्या और तारीख	प्राप्तियाँ
1	2	3
(1) [illegible]	3497 3495	[illegible] 01.12.2015
(2) [illegible]	3497	[illegible] 30/11/15
(3) [illegible]	3497 3501	[illegible] 01/12/15
(4) [illegible]	3497	[illegible] 30/11/15
(5) [illegible]	3497, 3502 3496	[illegible] 01/12/15

अनुसूची-१८-फारम संख्या 114

(लेखा संहिता खंड 3. फारम एफ0एस0ए0) (आधा पन्ना खुला)

वन विभाग, झारखण्ड — मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर ।

कैम्पा योजना के तहत माह– मार्च, 2016 में ठीकेदार और संवितरक के खाते में की गई प्रविष्टियों का सार ।

लेखापाल के खाते की संख्या	नाम और पंक्ति	कार्य	विभाग का देना				विभाग का पावना				देय शेष		किस मास से बाकी पड़ा है ?
			पिछले मास का देय शेष	रोकड़–बही की बिकलन मदों की संख्या	इस मास में की गई नगद वसूली अथवा की गई आपूर्ति या किए गए कार्यों का मूल्य	जोड़	पिछले मास से चला आ रहा बकाया	रोकड़ बही की आकलन मदों की संख्या	इस माह में किए गए भुगतान	जोड़	ठेकेदार– द्वारा संवितरक	ठेकेदार—– द्वारा संवितरक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sri A. K. Singh, R.O.F. Chhatarpur. East Range	0	0.00	0	582646.00	582646.00	0.00	0	1140777.00	1140777.00	558131.00		0
2	Sri Binod Kumar Vishwakarma, ROF. Kundri	0	0.00	0	2054125.63	2054125.63	509606.26	0	1947713.00	2457319.26	403193.63		0
3	Sri Mahesh Prasad, R.O.F. Manatu Range	0	0	0	0.00	0.00	290721.25	0	485797.00	776518.25	776518.25		0
4	Sri J.P. Thakur, R.O.F. Patan	0	0.00	0	1188987.25	1188987.25	282743.70	0	2058490.00	2341233.70	1152246.45		0
5	Sri Biriya Bhagat, R.O.F. Mohammadganj	0	0.00	0	0.00	0.00	559167.00	0	0.00	559167.00	559167.00		0
6	Sri Kumar Narendra, R.O.F.Chainpur	0	0.00	0	549462.72	549462.72	1187212.00	0	1198555.00	2385767.00	1836304.28		0
7	Sri Vinay Kumar Bhagat, R.O.F.Daltonganj Aff.	0	0.00	0	2383132.80	2383132.80	1239406.64	0	2095072.00	3334478.64	951345.84		0
	Grand Total :-		0.00	0.00	6758354.40	6758354.40	4068856.85		8926404.00	12995260.85	6236906.45		0.00

Office of the Divisional Forest Officer, Medininagar Forest Division, Medininagar.

Memo No.- Dated-

Submitted to the Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar for information & necessary action.

Divisional Forest Officer,
Medininagar Forest Division.

12

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

झारखण्ड सरकार

Email-dfomedininagarforestdivision@gmail.com&dfo-medininagar@gov.in

Phone No-06562-222536

पत्रांक– दिनांक–

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषयः– रबदा स्थायी पौधशाला का जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के मौखिक निर्देश के आलोक में दिनांक 18.07.2019 को रबदा स्थायी पौधशाला के निरीक्षण के क्रम में रबदा ग्राम में संयुक्त ग्राम वन प्रबंधन समिति की बैठक की गयी, जिसमें ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राम एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा स्थाई पौधशाला रबदा में कार्य कराये जाने की पुष्टि की गयी जिसकी अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न। तत्पश्चात दिनांक 20.07.2019 को अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के क्रम में वन क्षेत्र प्रागण, मनातू में ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं ग्रामीणों द्वारा एक स्वर में इस बात को प्रमाणित किया गया कि वर्ष 2015–16 में वन क्षेत्र पदाधिकारी का आवास मरम्मति का कार्य यथा बली बदलना एवं सफेदी का कार्य किया गया था इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मनातू वन क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय–सह–आवास का आवंटन के अनुरूप कार्य सम्पन्न कराया गया है। जिसकी अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

मनातू प्रक्षेत्र अन्तर्गत रबदा स्थायी पौधशाला में वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक पौधें उगाये यथा पौधशाला का कार्य सम्पन्न कराये गये है। इससे संबंधित कार्यालय अभिलेख अवलोकन से तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त पौधशाला संबंधित प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु सूचनार्थ समर्पित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

25.7.2019

ज्ञापांक– 2679 दिनांक– 25.7.2019

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर की सेवा में अनुलग्न की प्रति के साथ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

25/7/19

E:\Rabda permanent nursery letter 25.07.2019.doc

पत्र संख्या .... /

13

कार्यालयः—वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल।

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
मनातू प्रक्षेत्र।

मेदिनीनगर,दिनांक........ 09/01/16

विषयः— कैम्पा के तहत संचालित स्थायी पौधशाला के रख—रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2014—15 में व्यय राशि से संबंधित समर्पित लेखा के संबंध में ।

प्रसंगः इस कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.8.2015 एवं 3495 दिनांक 30.11.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का निदेश करें। कैम्पा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 में आपके प्रक्षेत्राधीन स्थायी पौधशाला रबदा के रख—रखाव हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि के व्यय के पश्चात् संधारित लेखा में पायी गयी त्रुटि से संबंधित बिन्दुओं पर इस कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.8.2015 द्वारा अवगत कराते हुए निराकरण हेतु निदेशित किया गया था। संबंधित मामलों में इस कार्यालय के पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अब तक संबंधित त्रुटिपूर्ण लेखा के निराकरण हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि आपके विरूद्ध त्रुटि युक्त कुल 290721.25 रू0 के प्रमाणकों को तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है तथा उक्त राशि आपके पक्ष में प्रमण्डलीय लेजर में रोकड़ शेष के रूप में यथावत है।

अतः अंतिम रूप से आपको स्मारित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त राशि से संबंधित त्रुटि रहित लेखा समर्पित नहीं किया जाता है तो संबंधित राशि की वसूली आपसे करते हुए बरती गयी अनियमितता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना के लिए आपके विरूद्ध यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

account/418

आज दिनांक 18/07/2019 को रवड़ा ग्राम में (1)
संयुक्त ग्राम वन प्रबन्धन समिति का बैठक राजेन्द्र राम वन समिति के अध्यक्ष के अध्यक्षता में किया गया जिसमें उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर निम्नलिखित है।

राजेन्द्र राम
वन समिति अध्यक्ष रवड़ा

1. कलावती देवी
2. हीरा देवी
3. समीरा देवी
4. [illegible] पासवान
5. चंचला देवी
6. सुकनी देवी
7. सोमन्ती देवी
8. विश्वल पासवान
9. सुचिता देवी
10. लीला देवी
11. नगीना देवी
12. पूजा देवी
13. सुरेन्द्र पासवान
14. [illegible] Kumar
15. नन्द किशोर राम
16. श्याम दास राम
17. आशा देवी
18. अरुण पासवान
19. महेन्द्र पासवान
20. शम्भू कुमार
21. Rahul Kumar
22. Mukesh kumar
23. Raju
24. Gudoo kumar
25. रविन्द्र कुमार
26. Ashutosh Kr.
27. सत्येन्द्र पासवान
28. प्रमोद पासवान
29. राजेश पासवान

[illegible]

में श्री राजेन्द्र राम अध्यक्ष ग्राम वन समिति की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। समिति ने एक ~~सहर~~ कुछ बात को प्रस्तावित किया है कि वर्ष 2015-16 में डैम मरम्मति की मरम्मति का कार्य संपन्न हुआ था जिसमें इन के ~~[illegible]~~ स्थान सभी सड़े बल्ली को स्थान बल्ली बदला गया था तथा सफेदी का कार्य किया गया था। प्रमाण स्वरूप उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपना हस्ताक्षर तथा टी० आई० निशान किया।

(1) राजेन्द्र राम पासवान
अध्यक्ष ग्राम वन प्रबंधन
समिति रक्षा

(2) ईश्वर यादव

(3) रितेश यादव

(4) [signature]

(5) ओमप्रभु रंजन

(6) लगनी देवी

(7) निरमली कुमारी

(8) सुशीला कुमारी

(9) मनोज उरांव

(10) [redacted] उरांव

(11) बिरेन्द्र यादव

(12) विजय यादव

(13) सुनील कुमार

[signature]
वन क्षेत्र पदाधिकारी
[illegible] वन प्रमंडल, मेदिनीनगर

10

(30) योगेन्द्र पासवान
[signature]

(31) धैलेन्द्र पासवान

(32) गीता देवी

(33) गणेशराम

(34) प्रदीप राम

समिति प्रमाणित करती है कि वर्ष 2015-16 मे स्थायी पौधशाला रबदा ग्राम मे ब्रुकआउट, कोड़नी निकौनी, सुरक्षा आदि सभी कार्य सम्पन्न किया गया था और आज की तिथि मे कोई भी मजदूरी भुगतान लंबित नही है।

राजेन्द्र [signature]
वन समिति अध्यक्ष
रबदा, मनातू

[signature]
वन प्रमंडल पदाधिकारी
[illegible] वन प्रमंडल, मेदिनीनगर

मनातू प्रक्षेत्र अन्तर्गत [illegible] रबदा का वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक वर्षवार पौधों की बिक्री एवं विभागीय कार्यों में खपत से प्राप्त राजस्व का विवरणी।

वर्ष	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थायी पौधशाला का नाम	पौधशाला का रकबा है0	विगत वर्ष का अवशेष पौधा	चालू वर्ष में तैयार किये गये पौधें	अन्य क्षेत्र प्रमण्डल से प्राप्त पौधें	कुल उपलब्ध पौधें	विभागीय उपयोग में लाये गये			बिक्री किये गये		अन्य क्षेत्र प्रमण्डल को	कुल खपत पौधें	अवशेष पौधें	प्राप्त राजस्व	चलान तथा जमा किया गया कुल राजस्व
									निःशुल्क	भुगतान करके @ 1.57 प्रति पौधा की दर	प्राप्त राजस्व	पौधों की संख्या	प्राप्त राजस्व					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2011 – 12	पलामू	मनातू	रबदा	1 है0	20,000	100000	–	1,20,000	–	–	–	20,000	31400.00	–	20,000	1,00,000	31,400.00	दिनांक 31.03.2011 को चालान द्वारा 31400.00 रू0 जमा किया गया।
2012 – 13	वही	वही	वही	1 है0	100000	100000		2,00,000	–	–	–	800	1200.00	–	800	1,99,200	1200.00	चेक नं0–341, दिनांक 31.03.2012 द्वारा 1200.00 रू0 जमा किया गया।
[illegible] – 14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 है0	[illegible]	[illegible]	–	2,99,200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2014 – 15	वही	वही	वही	1 है0	299200	100000	–	3,99,200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2015 – 16	वही	वही	वही	1 है0	399200	100000	–	4,99,200	–	–	–	8,000	12,000.00	–	8000	4,91,200	12,000.00	दिनांक 15.10.2015 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के खाता में 12000.00 रू0 जमा किया गया।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

(8)

पत्र संख्या .... /

कार्यालयः—वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

सेवा में,

1—श्री महेश प्रसाद,
वन क्षेत्र पदाधिकारी,
मनातू प्रक्षेत्र ।

2— श्री बिरिया भगत,
वन क्षेत्र पदाधिकारी,
मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र ।

3— श्री कुमार नरेन्द्र,
वन क्षेत्र पदाधिकारी,
चैनपुर प्रक्षेत्र ।

मेदिनीनगर, दिनांक................................ /

विषयः— माह मार्च,2016 कैम्पा योजना का लेखा बही के आधार पर आपके पक्ष में लंबित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में।

प्रसंगः— माह मार्च,2016 का लेखा—बही (Ledger) दिनांक 01.4.2016

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि मार्च, 2016 का कैम्पा लेखा—बही (Ledger) का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आपके वन अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि का कतिपय कारणों से लेखा समायोजन नहीं होने के आपके पक्ष मे अवशेष राशि परिदर्शित हो रहा है, जो निम्नवत् है :—

क्र0सं0	वन क्षेत्र पदा0 का नाम	प्रभार क्षेत्र का नाम	समायोजन हेतु लंबित राशि	कब से लंबित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महेश प्रसाद	मनातू प्रक्षेत्र	775518.25	मार्च,2016	
2	श्री बिरिया भगत	मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र	559167.00	मई, 2015	
3	श्री कुमार नरेन्द्र	चैनपुर प्रक्षेत्र	1219077.28	अप्रील,2016	

उपरोक्त तालिका का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त राशि आपके पक्ष में विगत कई वर्षो से लंबित है, जो वित्तीय अनियमितता है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त राशि को कैम्पा के खाता में जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय में समर्पित किया जाए, ताकि सरकारी राशि का समायोजन किया जा सके ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

(6)

ज्ञापांक 1694 दिनांक 05/4/17
प्रतिलिपि:—कैम्पा प्रभारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित। निर्देश है कि इस तरह का कोई राशि मनरेगा, एफ0डी0ए0 अथवा कार्य योजना (IAP) एवं अन्यान्य गद में वन क्षेत्र पदाधिकारी के पक्ष में राशि अवशेष जमा करने का निर्देश दिया जाए तथा प्रत्येक 15—20 दिन में राशि जमा करने हेतु पत्र दिया जाए।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

पत्र संख्या

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

प्रेषक,

पत्रांक- 2278 दिनांक- 12/5/17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,
मेदिनीनगर।

सेवा में,

(1) श्री महेश प्रसाद,
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र ।

(2) श्री बिरिया भगत,
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र ।

(3) श्री कुमार नरेन्द्र,
वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैनपुर प्रक्षेत्र ।

विषयः– कैम्पा योजना का लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक– 1694 दिनांक– 03.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा कैम्पा योजना के लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध मे अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी ।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि आपके पक्ष में लम्बित राशि कैम्पा खाता में शीघ्र जमा कर चलान की प्रति इस कार्यालय को समर्पित करें, ताकि राशि का समायोजन किया जा सके ।

इसे अतिआवश्यक समझें ।

विश्वासभाजन,

11.5.17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल
मेदिनीनगर ।

D/: MS word/Campa./ folder/Campa /Letter-/ by RBS/P-2

0/c

(4)

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक- 3698 दिनांक- 20/7/17

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

(1) श्री महेश प्रसाद,
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र ।

(2) श्री बिरिया भगत,
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र ।

(3) श्री कुमार नरेन्द्र,
वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैनपुर प्रक्षेत्र ।

विषयः- कैम्पा योजना का लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में

प्रसंगः- इस कार्यालय का पत्रांक- 1694 दिनांक- 03.04.2017 एवं 2278 दिनांक- 12.05.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा कैम्पा योजना के लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,कैम्पा, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक- 20.07.2017 तक राशि कैम्पा बैंक खाता में निश्चित रूप से जमा करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है ।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर आपके पक्ष में लम्बित राशि कैम्पा खाता में जमा कर चलान की प्रति इस कार्यालय को समर्पित करे, अन्यथा आपके विरूद्ध विभागिय कार्यवाही का प्रारूप उच्चाधिकारी को भेज दी जायेगी ।

इसे अतिआवश्यक समझें ।

विश्वासभाजन,

20.7.17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,
मेदिनीनगर ।

D/: MS word/Campa / folder/Campa /Letter-/ by RBS/P-6

(3)

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक–A337 दिनांक–24/8/17

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

(1) श्री महेश प्रसाद,
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र ।

(2) श्री बिरिया भगत,
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र ।

(3) श्री कुमार नरेन्द्र,
वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैनपुर प्रक्षेत्र ।

विषयः– कैम्पा योजना का लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि त कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक– 1694 दिनांक– 03.04.2017, 2278 दिनांक 12.05.2017 एवं 3698 दिनांक–20.07.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा कैम्पा योजना के लेजर लेखा के आध पर आपके पक्ष में लंबित राशि को बैंक खाता में जमा करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा बार–ब स्मारित किया जा रहा है, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं त गयी ।

अतः पुनः अंतिम बार स्मारित करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति दो दिनों के अन्दर आपके पक्ष में लंबित राशि जमा कर चलान की प्रति इस कार्यालय त समर्पित करें, अन्यथा आपके पक्ष में लंबित राशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़क आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का प्रारूप उच्चाधिकारियों को भेज दी जायेगी ।

इसे अति आवश्यक एवं अंतिम स्मार समझें ।

विश्वासभाजन,

24-8-17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,
मेदिनीनगर ।

24/8/17

24/8/017

D: MS word/Campa./ folder/Campa /Letter-/ by RBS/P-7

(2)

कार्यालय :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक 2473 दिनांक 29.07.19

प्रेषक,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

विषय :– **श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कैम्पा योजना अन्तर्गत 776518.25 रू0 की राशि से कराये गये कार्यों का लेखा समर्पित नहीं करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.07.2019 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में श्री नरेश चन्द्र सिंह मुण्डा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल सम्प्रति चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा, श्री अनिल कुमार मिश्रा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी सम्प्रति निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग तथा श्री महेश प्रसाद तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू सम्प्रति सेवा निवृत को क्षेत्रीय कार्यालय कक्ष पलामू में वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में रबदा स्थायी पौधशाला तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी के आवास–सह–कार्यालय की मरम्मति हेतु निर्गत राशि का लेखा समर्पित नहीं करने के संबंध में जांच के लिये बुलाया गया। उक्त तीनों पदाधिकारी दिनांक 19.07.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय, पलामू में उपस्थित हुये। इनके अलावा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, श्री कुमार आशीष भी मौजूद थे। सर्वप्रथम श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी से लेखा के संबंध में पूछ–ताछ किया गया। श्री महेश प्रसाद, सेवा निवृत वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र का कहना था कि उसने वित्तीय वर्ष 2014–15 का 290721.25 रू0 का लेखा सुधार कर प्रमण्डलीय कार्यालय मेदिनीनगर में समर्पित किया था। उनका यह भी कहना था कि उन्होनें वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्गत राशि 485797.00 रू0 का लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया था। इस पर तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल श्री मुण्डा एवं श्री मिश्रा का कहना था कि उसने लेखा समर्पित किया था लेकिन त्रुटिपूर्ण होने के कारण लेखा श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को सुधार कर समर्पित करने के निर्देश के साथ लौटा दिया गया, जिसे श्री महेश प्रसाद द्वारा वापस समर्पित नहीं किया गया। इस संबंध में उनके द्वारा श्री महेश प्रसाद को प्रमण्डलीय पत्रांक 2576 दिनांक 25.08.2015, पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016 द्वारा

(1)

ारित किया गया, परन्तु श्री महेश प्रसाद द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया। इस पर श्री महेश प्रसाद इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया है।

श्री महेश प्रसाद को लेखा समर्पित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो उन्होंने लिखित में दो दिन का समय मांगा (छायाप्रति संलग्न) इस संबंध में उन्हें दो दिन का समय दिया गया, परन्तु निर्धारित अवधि में श्री महेश प्रसाद द्वारा लेखा समर्पित करने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया और न ही लेखा समर्पित किया गया। उनके द्वारा केवल कैश कॉपी की छायाप्रति संलग्न करते हुये प्रतिवेदन दिया गया है, जिसके साथ भाउचर नहीं है। अतः यह लेखा मान्य नहीं है। (छायाप्रति संलग्न) इस प्रकार यह बात सिद्ध होती है कि श्री प्रसाद द्वारा लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया।

श्री नरेश चन्द्र सिंह मुण्डा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी सम्प्रति चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल से इस कार्यालय पत्रांक 1955 दिनांक 19.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पूछा गया कि जब श्री महेश प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 का 290721.25 रू0 का लेखा समर्पित नहीं किया गया था तो उन्होंने श्री महेश प्रसाद को 485797.00 रू0 की राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में देने का क्या औचित्य था। इस पर श्री मुण्डा द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 2060 दिनांक 20.07.2019 द्वारा उत्तर समर्पित किया है (छायाप्रति संलग्न)। श्री मुण्डा द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उनका पदस्थापन झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या र0व0से0 (स्था0) 07/2015–3871 व0प0 दिनांक 20.07.2015 के द्वारा मेदिनीनगर वन प्रमण्डल में किया गया तथा उन्हों 27.07.2015 के अपराह्न में प्रभार ग्रहण किया। चूंकि पौधशाला का कार्य माह अप्रैल 2015 से ही चालू था तथा प्रतिबद्ध दायित्व का सृजन पूर्व से हो रखा था। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि प्रभार ग्रहण के उपरान्त प्रमण्डल एवं प्रमण्डल में पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारियों की गति विधियों को परखने एवं समझते–समझते श्री प्रसाद तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी मनातू द्वारा कुल 405797.00 रू0 का सम्पोषण कार्य का प्रतिबद्ध दायित्व का सृजन कर लिया गया था।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी का मनातू स्थित आवास अत्यंत जर्जर स्थिति में था, इसकी मरम्मति अतिआवश्यक था इसलिए वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू के आवास की मरम्मति हेतु 80000.00 रू0 का चेक दिया गया था, ताकि श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी को क्षेत्र मुख्यालय में रहने के लिए बाध्य किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने स्थायी पौधशाला में अवशेष पौधों को बचानें, गरीब मजदूरों की मजदूरी भुगतान, लोकहित एवं विभाग के छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी के पक्ष में 290721.25 रू0 असमायोजित राशि रहते हुए कुल 485797.00 रू0 चे निर्गत किया था। श्री मुण्डा द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तर्कसंगत लगता है।